2263

सं-42

प्रेषक

सख्या:- 5927 / III(2)/13-31(प्रा0आ0)/2013

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2013

विषयः-- **वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 132.75 किमी0 + 08 सेतु तथा लागत ₹ 1468.00 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1462.95** लाख (₹ चौदह करोड़ बासठ लाख पिचानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 मे संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 24 कार्य हेतु ₹ 2.40 लाख (₹ दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं0-22--लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडकें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि [illegible] 024 [illegible] पृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित मानक पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

2275
24/11/2013

स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते तदनुसार कार्यवाही की जाय।

– उक्त 24 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत **अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:–S1311220270 दिनांक** 11–2013 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0– 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 535(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 22 नवम्बर, 2013 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

क:– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

(1)/III(2)/13–31(प्रा0आ0)/2013 तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
सम्बन्धित जिलाधिकारी।
मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो.नि0वि0, उत्तराखण्ड।
गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ० पत्रांक- 2275 / 20 प्र०अ०-(क्र) 7/13 दि० 29/11/13

प्रतिलिपि निम्न लिखित को पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- मुख्य अभि० (गढ़वाल क्षे०) लो०नि०वि० पौड़ी / अल्मोड़ा।

02- अधीक्षण अभि० ....वाँ वृत्त, लो०नि०वि० ....।

03- सावज / (क्षेत्र) वर्ग, लो०नि०वि० देहरादून

04- यथोपरि।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पुरोला

Photocopy

29/11/13

29/11/13

शासनादेश संख्याः-5927 / III(2)/13-31(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22-नवम्बर, 2013 का संलग्न

20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-236/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरोला में त्यूनी पुरोला नौगांव मोटर मार्ग से पुरोला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	3.75 + 48 mt	131.15 (₹ 6.95 + ₹ 124.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-237/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरोला में हुडोली से विणगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	31.53 (₹ 2.49 + ₹ 29.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.99 (₹ 5.49 + ₹ 22.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-232/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में मोरी-सालरा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से सान्द्रा सल्ला, मोरा (आराकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7.00	123.27 (₹ 7.91 + ₹ 115.36 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-248/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में किराणु-धुनियारा-थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	52.50 (₹ 4.98 + ₹ 47.52 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योगः-	132.75 + 08 brg	1462.95	2.40

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला

Photocopy AHO

(कुल ₹ दो लाख चालीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव